

राजस्व लोक अदालत  
न्याय आपके द्वार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा 2018

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018/कैम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार (आर०ए०एस०)

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / 94 / 2018

दायर दि० 8/5/18

फैसल दि० 8/5/18

श्री राजू कुवर  
.....  
(वादी)


अनवान  
वनाम पटवारी तहसीलदार  
सागवाडा  
.....  
(प्रतिवादी)

वादी श्री राजू कुवर ने वाद प्रस्तुत कर  
मोजा ओवरी के खाता नम्बर 661 जमाबन्दी सं० 2071-74  
में अंकित स्वयं/पिता का नाम राम कुवर  
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है  
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर  
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम  
राजू कुवर है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम राम कुवर  
दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।

प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम राजू कुवर  
होने के सम्वन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता  
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद  
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गन्धिमकोट को आदेश दिया  
जाता है कि मोजा ओवरी की जमाबन्दी संवत् 2071-74 के  
खाता संख्या 661 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम  
राम कुवर में संशोधन कर सही नाम  
राजू कुवर दर्ज रेकार्ड किया जावे ।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार  
हो नम्बर से कम हो ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सागवाडा